आरएसएस प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक

अदालत ने बीवीजी रिश्वत मामले में सरकारी वकील को 22 फरवरी तक केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले बीस करोड़ की रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकारी वकील को 22 फरवरी तक केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश निंबाराम की आपराधिक याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता का नाम राजनीतिक द्वेषता के चलते शामिल किया गया है। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि और राजाराम गुर्जर उसके पास राममंदिर के चंदे का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन तब तक चंदा लेने की समयावधि पूरी हो चुकी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने प्रताप गौरव केन्द्र के लिए चंदा देने का सुझाव दिया था। याचिकाकर्ता के साथ बैठक के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने चंदे के साथ ही कंपनी की समस्याओं के बारे में बताया था। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो क्लिप में बदले की भावना से कांट-छांट की गई है। याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट पूर्व में गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा चुका है। ऐसे में मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।

इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि कंपनी के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत की बातचीत में निंबाराम की सक्रिय भागीदारी रही है। एसीबी के पास रिश्वत के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ता को जांच एजेन्सी के समक्ष अभ्यावेदन देने को कहा था और तब तक गिरफ्तार करने के निर्देश थे। याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी को अभ्यावेदन पेश कर दिया और आईओ ने उसमें अपराध प्रमाणित माना है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है।

गौरतलब है कि वायरल वीडियो के आधार पर एसीबी ने मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, संदीप चौधरी और निंबाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी ने पूर्व में राजाराम और सप्रे के खिलाफ आरोप पत्र पेश करते हुए चौधरी व निंबाराम के खिलाफ जांच लंबित रख रखी है। फिलहाल राजाराम और सप्रे जमानत पर चल रहे हैं।

नवगठित राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन रामेश्वर डूडी ने शुक्रवार को पंत कृषि भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, विधायक चेतन डूडी, खादी एवं ग्रामोघोग बोर्ड के अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा, लघु उघोग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, एससी बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

काव्य के विविध रंगों से सजा होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल

जयपुर, (का.सं.)। कला, संस्कृति और साहित्य का अभिन्न भाग कविता या काव्य है, और विस्तृत सन्दर्भ में देखें तो काव्य किसी सभ्यता की विरासत को दर्शाता है। हाईब्रिड अवतार में होने जा रहे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 में समकालीन जगत के कई लोकप्रिय कवि भाग लेंगे। फेस्टिवल में ऐसे कई सत्रों का आयोजन होगा, जिनमें काव्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी।

पायनियरिंग परफोर्मिंग आर्ट्स और टीमवर्क आर्ट्स द्वारा प्रोड्यूस फेस्टिवल में पाठन और संवाद के कई सत्र होंगे। ऐसे ही एक सत्र में, लेखिका, कवयित्री, अनुवादक और कार्यकर्त्ता, मीना कंडासामी श्रोताओं के सामने एक बहुआयामी सफ़र को प्रस्तुत करेंगी, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वयं को, राजनीति को और लिंग को समझा। आपने गद्य, पद्य और अनुवाद के माध्यम से कई किताबों की रचना की, जैसे जिप्सी गोडेस, दिस पोएम विल प्रोवोक यू, वेन आई हिट यू, द ऑर्डर्स वर रेप यू एंड वीमेन, ड्रीमिंग। कंडासामी से संवाद में पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया की एग्जीक्यूटिव एडिटर, मानसी सुब्रमण्यम शब्दों, विश्वास, आदर्श और भावों पर रौशनी डालेंगी।

सर एडविन आर्नोल्ड की वर्ष 1879 में आई, प्रसिद्ध कविता, द लाइट ऑफ़ एशिया ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सर आर्नोल्ड द्वारा की गई भगवत गीता की पुनर्व्याख्या निर्विवादित रूप से महात्मा गांधी की पसंदीदा थी। लेखक और राज्य सभा सदस्य, जयराम रमेश की किताब, द लाइट ऑफ़ एशिया: द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्ध, इस कविता के कथ्य और बौद्ध इतिहास को समझने में मील का पत्थर है।

मुगल चले गये, अपने पीछे कांग्रेसी एजेंट छोड़कर : शेखावत

■ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के महाराणा प्रताप पर दिए बयान की केंद्रीय मंत्री ने की आलोचना

जयपुर। महाराणा प्रताप को लेकर दिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान की केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखी आलोचना की है। शेखावत ने कहा कि डोटासरा जी इटालियन कोचिंग से सीखा अपना इतिहास हमें न बांचें। आप तत्काल माफी मांगें।

ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मुगल चले गए अपने पीछे कांग्रेसी एजेंटों को छोड़कर, जो मातृभूमि के सम्मान की लड़ाई को सत्ता से जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा किस आधार पर कह रहे हैं कि राजस्थान के माथे का तिलक हमारे महाराणा प्रताप ने अकबर से सत्ता के लिए युद्ध किया था? महाराणा ने अकबर से स्वतंत्रता के लिए रण किया था, धर्म रक्षा का युद्ध किया था, मरुधरा के परचम को ऊंचा रखने की जंग की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगली बार हमारे महाराणा का नाम अपनी सियासी जुबान पर न लाएं, यही अच्छा होगा।

'भाजपा नेताओं को लपकों की तरह मुद्दा लपकने की आदत'

■ महेश जोशी ने डोटासरा के महाराणा प्रताप पर दिए बयान को सही ठहराया

जयपुर, (का.प्र.)। राज्य के जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, कि भाजपा नेताओं को लपकों की तरह मुद्दा लपकने की आदत हो गई है।

भाजपा नेताओं ने ऊपर से लेकर नीचे तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ताक पर रखा है। शैक्षिणक मुद्दों पर अगर कोई बात कही जाए तो भी उसका गलत अर्थ निकालते हैं। जोशी ने कहा कि महाराणा प्रताप की महानता पर किसी को कोई शक नहीं है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शैक्षिणक अर्थ में महाराणा प्रताप को लेकर अपने विचार रखे थे। पीसीसी चीफ के बयान का गलत अर्थ निकालने पर भाजपा नेताओं की निंदा करता हूँ। पत्रकारों के सवाल पर जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने भाजपा नेताओं को लेकर कहा कि असफलता के बावजूद ज़बर्दस्ती ढिंढोरा पीटने की भाजपा के नेताओं की मानसिकता नए सिरे से निकल कर आई है। इस मानसिकता के प्रणेता सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और गुलाबचंद कटारिया हैं। रीट पर भाजपा के प्रदर्शन को लेकर हमारे मंत्री का बयान सही था कि ये प्रदर्शन असफल है।

जोशी ने कहा कि झूठ बोलकर और असत्य बोलकर ढिंढोरा पीट रहे भाजपा नेताओं की मानसिकता उन्हें ही मुबारक। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस भाई को भाई से नहीं लड़ा सकती, हिन्दू को मुसलमान से नहीं लड़ा सकती, हम झूठ नहीं बोल सकते। देश को रिवर्स गियर में नहीं ले जा सकते। बिना बनाए हम सार्वजनिक सम्पत्तियों को नहीं बेच सकते। जोशी ने कहा कि भाजपा ने अपने शासन में कोई नई कम्पनी नहीं बनाई। कोई नई संस्था नहीं बनाई। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कई कंपनियों/संस्थाओं को बेच डाला है।

पेपर लीक के कारण पहले रद्द हुई परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की एबीवीपी ने?

जयपुर। हाइकोर्ट में रीट भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया है। अदालत ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 24 फरवरी को तय की है। सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पर दिए।

राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि प्रदेश में पूर्व में भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुई हैं। एसओजी की रिपोर्ट पर आरएएस भर्ती-2013, कांस्टेबल भर्ती-2013, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती-2015, लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती-2013 और जेल वार्डन भर्ती-2016 को रद्द किया गया है। इसके अलावा एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर आरएएस भर्ती-2015 को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने इन भर्तियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग नहीं की। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने आप को नेशनल लेवल का संगठन बताता है। इसके बावजूद यूपी की टेट, ट्ययूबवेल ऑपरेटर, हरियाणा की शिक्षक पात्रता परीक्षा, गुजरात की चीफ क्लर्क परीक्षा और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, महाराष्ट्र में चिकित्सा विभाग की ग्रुप डी और इंजीनियरिंग सर्विस, एमपी की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भर्ती को पेपर लीक के चलते पिछले सात सालों में रद्द किया गया है।

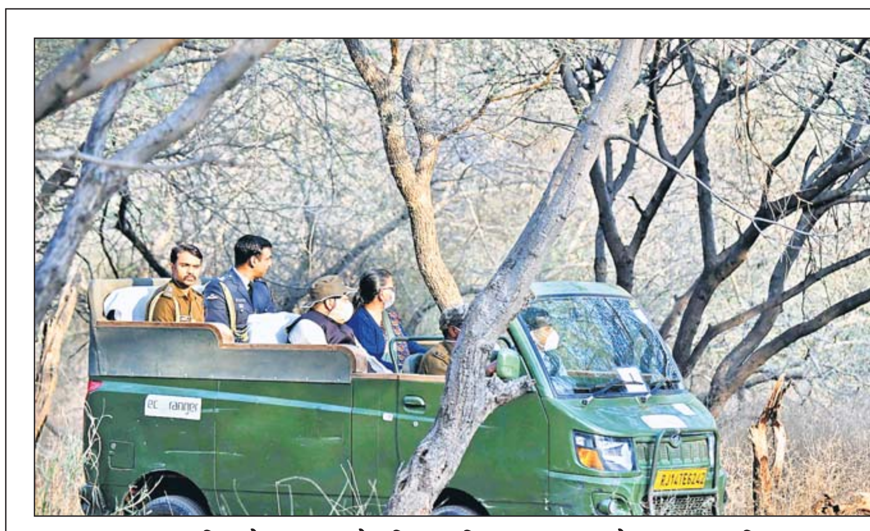

राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को परिवार सहित झालाना वन क्षेत्र का भ्रमण किया। राज्यपाल मिश्र ने यहां शिकार होदी पर बघेरे 'बहादुर' की अठखेलियां देखी और झालाना जंगल के नजारे देखकर इसकी तारीफ की।

राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी को किया नमन

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयन्ती (19 फरवरी) पर नमन किया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में और कमी आई

राज्य में शुक्रवार को 1233 नए संक्रमित मिले, इससे पहले गुरूवार को 1506 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमितों की संख्या में और कमी आई है। इस दौरान राज्य में 1233 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें जयपुर और जोधपुर को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में सौ से भी कम मरीज पाए गए हैं। इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 6 और लोगों की मौत हो गई है।

प्रदेश में शुक्रवार को 273 और मामले कम होने के साथ ही 1233 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले राज्य में गुरूवार को 1506 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में मामूली गिरावट के बाद 337 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 105, उदयपुर में 83, नागौर में 63, अलवर में 53, बीकानेर में 49, अजमेर में 44, कोटा में 41,

■ जयपुर में मामूली गिरावट के बाद 337 नए संक्रमित मिले हैं।

■ प्रदेश में करोना से 6 और लोगों की मौत हुई।

झुंझुनूं में 40, राजसमंद में 37, भीलवाड़ा में 33, सवाई माधोपुर में 32, बांसवाड़ा में 29, चूरू व डूंगरपुर में 25-25, गंगानगर व सीकर में 24-24, चित्तौड़गढ़ व करौली में 23-23, बारां में 21, प्रतापगढ़ में 17, हनुमानगढ़ में 16, झालावाड़ व टोंक में 14-14, सिरोही में 13, भरतपुर में 12, धौलपुर में 10, दौसा में 8, बीकानेर में 7, जैसलमेर में 5, बाड़मेर में 4 और पाली में 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं जालौर में आज भी संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच राज्य में 3112 और संक्रमित ठीक हुए हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 98.29 फीसदी हो गई है। राज्य में लगातार नए संक्रमितों के मुकाबले में दोगुना से अधिक रिकवरी होने से एक्टिव केस घटकर 12 हजार 200 रह गए हैं। इनमें सर्वाधिक 3901 मामले जयपुर जिले में हैं। उधर प्रदेश में करोना से मरने वालों के आंकड़े भी लगातार गिरावट आ रही है। इसके चलते शुक्रवार को राज्य में करोना से 6 और लोगों की मौत हुई है। इनमें सवाई माधोपुर जिले में 2 जबकि दौसा, गंगानगर, जयपुर और झालावाड़ में 1-1 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक करोना से 9507 लोगों की जान जा चुकी है।

जयपुर में 56 स्थानों पर मिले नए संक्रमित

जयपुर में शुक्रवार को 56 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 31 मरीज वैशाली नगर इलाके में पाए गए हैं इसके अलावा टोंक रोड, सांभर व मुरलीपुरा में 17-17, जेएलएन मार्ग पर 13, बस्सी व मालवीय नगर में 12-12, आमेर व झोटवाड़ा में 11-11 तथा मानसरोवर और सांगानेर में 10-10 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 10 मरीज के नाम पता व मोबाइल नम्बर गलत होने पर उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका।

डॉ. सतीश पूनिया ने आमजन से मुलाकात कर की जनसुनवाई

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने जयपुर स्थित अपने जनसंवाद केंद्र पर आमजन से मुलाकात कर जनसुनवाई की।

कुशलक्षेम जानने पहुंचे प्रदेशभर से आमजन व कार्यकर्ताओं से डॉ. पूनिया ने मुलाकात की डॉ. सतीश पूनिया की कुशलक्षेम जानने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी, विधायक नरपतसिंह राजवी, अविनाश गहलोत, अनिमेष महर्षि, अशोक लाहोटी, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, मुकेश दाधीच, माधोराम चौधरी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश भढ़ाना, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महामंत्री हामिद खान, एससी मोर्चा प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग इत्यादि पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे।

खोया-पाया

मेरे प्लाट नं. 3/262, विद्याधर नगर जयपुर का जेडीए एलाटमेंट लेटर व पट्टा कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। सूरजमल खंडेलवाल मो. 9829022711

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री शम्भु दयाल शर्मा पुत्र श्री गणपत लाल एवं श्रीमती वीना शर्मा पत्नि श्री शम्भु दयाल शर्मा निवासीगण सी-9/7, ऑटो मोबाईल नगर, गलता गेट, जयपुर-302003 (राज.) अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से अपने पुत्र श्री अनुराग शर्मा एवं उसकी धर्मपत्नि श्रीमती श्वेता जागिड़ को बेदखल करते हैं क्योंकि वे मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नहीं है। उनका अब मेरे अभिभाष्यगण व उनके परिवार से कोई सम्बन्ध व लेना-देना नहीं है। भविष्य में मेरे अभिभाष्यगण के उक्त पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा किये गये किसी भी संव्यवहार या वाद-विवाद से मेरे अभिभाष्यगण का कोई लेना-देना नहीं रहेगा।
जयपुर, दिनांक-18.02.2022 भवदीय
(सुरेन्द्र शर्मा), एडवोकेट, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर, मो. 8504881045

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाषण श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्रकला शर्मा, निवासी- 92ए, स्याम वाटिका, बाढ श्योपुर रोड, वाटिका रोड, सांगानेर, जयपुर (राज.) के पुत्र मुकेश शर्मा एवं पुत्रवधु श्रीमती सुनीता शर्मा मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नही है जिस कारण मेरे अभिभाष्यगण ने अपने पुत्र, पुत्रवधु एवं पौत्र वंश दाधीच को पिछले 6 माह से अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था, सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था से किसी भी प्रकार का लेनदेन ऋण या अन्य कोई संव्यवहार किया जाता है तो उनकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी। मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहें। भवदीय (अविनाश वशिष्ठ)
दिनांक: 18/02/2022 एडवोकेट मो. 9413488007

नाम परिवर्तन

मैं निधि शर्मा पत्नी नितिन महर्षि निवासी 683, बरकत नगर, जयपुर राजस्थान। दस्तावेजों में मेरा नाम निधि विजय कुमार शर्मा, निधि शर्मा महर्षि, निधि विजय कुमार महर्षि के रूप में दर्ज है जो गलत है। मेरा नाम बदलकर निधि शर्मा करना है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

राजस्थान उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर
क्रमांक- **-: आवश्यक सूचना :-** दिनांक-

मूलतः आवास संख्या 2/36 एस.डब्ल्यू.बी. योजना अलवर जो कि श्री वेद प्रकाश मेहरा को आवंटन पत्रांक 4217 दिनांक 30.12.86 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 626 दिनांक 24.05.2000 को श्री सुमेर चन्द जैन जारी किया जा चुका है श्री सुमेर चन्द जैन द्वारा आवास की रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय अलवर में दिनांक 26.07.2000 को पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री सुमेर चन्द जैन द्वारा उक्त आवास का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 29.05.2015 को श्रीमती शशीबाला जैन पुत्री श्री सुमेर चन्द्र जैन पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जैन के नाम कर दी गई है। श्री सुमेर चन्द जैन की मृत्यु 13.08.2021 को हो जाने के कारण इनकी उत्तराधिकारिणी श्रीमती शशीबाला जैन पुत्री स्व. श्री सुमेर चन्द जैन पत्नी श्री नरेन्द्र जैन द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा एवं शपथ पत्र एवं घोषणापत्रों के आधार पर आवास का नाम हस्तान्तरण करने हेतु शुल्क एवं प्रपत्र प्रस्तुत कर आवेदन प्रस्तुत किया है। श्रीमती शशीबाला जैन द्वारा ने स्वयं के नाम से हस्तान्तरण मण्डल के रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रपत्र एवं शुल्क जमा करा दिया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 2/36 सी.एस. डब्ल्यू.बी. योजना अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति शेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें शशीबाला जैन पुत्री सुमेर चन्द्र जैन पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जैन के स्वयं के पक्ष में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त अलवर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक: एफ(ग्राम कलवाडा आई.डी.86) जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी 487
सार्वजनिक सूचना दि. 12.02.22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में लीजडीड बाबत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	रजिस्टर्ड आवेदक
ग्राम कलवाडा के खसरा नम्बर 48, 52, 53 का आरक्षण पत्र क्रमांक डी-190 दिनांक 13.11.2006 के द्वारा श्री कालूराम, गोपाल पि. श्योराम को जारी किया गया था।	ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 258-सी, क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर	श्री शिवराज सिंह पूनिया पुत्र श्री हसराम पूनिया

लीजडीड जारी करने में किसी को आपत्ति हो तो यह सूचना जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, बाबा आर.एन.गौड़ गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
क्रमांक: S.P. 01 **निर्वाचन सूचना** दिनांक: 18.02.2022
कार्यालय इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के आदेश क्रमांक फा.15(20)ई.रि.अ./उरज/गृह नि.स.स./चुनाव/2020/75-79 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को बाबा आर.एन.गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की प्रबन्धकारिणी के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 18.02.2022 को प्रस्तावित मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ प्रारम्भ हो गई है। विस्तृत कार्यक्रम समिति कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है, जिसका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है। अतः सूचित रहे।
निर्वाचन अधिकारी, बाबा आर.एन.गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, रामजीपुरा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर
क्रमांक: S.P. 01 **निर्वाचन सूचना** दिनांक: 18.02.2022
कार्यालय इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के आदेश क्रमांक फा.15(20)ई.रि.अ./उरज/गृह नि.स.स./चुनाव/2020/105-109 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को रामजीपुरा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर की प्रबन्धकारिणी के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 18.02.2022 को प्रस्तावित मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ प्रारम्भ हो गई है। विस्तृत कार्यक्रम समिति कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है, जिसका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है। अतः सूचित रहे।
निर्वाचन अधिकारी, रामजीपुरा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, सिविल लाईन्स गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
क्रमांक: S.P. 01 **निर्वाचन सूचना** दिनांक: 18.02.2022
कार्यालय इकाई रिटर्निंग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के आदेश क्रमांक फा.15(20)ई.रि.अ./उरज/गृह नि.स.स./ चुनाव/2020/ 111-115 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सिविल लाईन्स गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर की प्रबन्धकारिणी के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 18.02.2022 को प्रस्तावित मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ प्रारम्भ हो गई है। विस्तृत कार्यक्रम समिति कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है, जिसका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है। अतः सूचित रहे।
निर्वाचन अधिकारी, सिविल लाईन्स गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
दूरभाष संख्या-0141-4901853

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 3-ट-5 जवाहर नगर जयपुर क्षेत्रफल 136.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री प्रहलाद कुमार को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 10844 दिनांक 09.07.1975 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर, प्रथम में दिनांक 08.07.1987 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री प्रहलाद कुमार पुत्र श्री बालूराम के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर नगर में दिनांक 08.07.1987 को श्री प्रहलाद पारवानी पुत्र श्री जीवत राम पारवानी को मुख्त्यारनामा आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात मुख्त्यारनामा आम धारक श्री प्रहलाद पारवानी पुत्र श्री जीवत राम पारवानी के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्री अर्जुन दास पारवानी पुत्र श्री नारायण दास पारवानी को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 17.07.1987 को करवाया गया। श्री अर्जुन दास पारवानी पुत्र श्री नारायण दास पारवानी की मृत्यु दिनांक 30.11.2020 को हो जाने के पश्चात श्री शंकर पारवान, श्री प्रकाश पारवानी एवं श्री अनिल पारवानी पुत्रान स्व. श्री अर्जुन दास पारवानी के द्वारा क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, हक त्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री शंकर पारवान, श्री प्रकाश पारवानी एवं श्री अनिल पारवानी पुत्रान स्व. श्री अर्जुन दास पारवानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 222/22
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
नाम प्रार्थी तिलक राज अरोड़ा पुत्र श्री दौलतराम अरोड़ा जाति पंजाबी विवाद स्थान जयपुर म.नं. 65-ए, राम गली नं. 7 राजापार्क जयपुर।
मृतक श्री गुलशन अरोड़ा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 08.03.22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, गुलशन अरोड़ा पुत्र श्री दौलतराम अरोड़ा जाति पंजाबी निवासी मकान नम्बर-9/66 मालवीय नगर, जयपुर राज. 302017 का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 08 माह 03 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 31 माह 01 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया। प्रार्थी ने मृतक गुलशन अरोड़ा के प्रा. पत्र में वर्णित चल सम्पत्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।

आज्ञा न्यायालय से
मोहर वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय स्थान श्रीमाधोपुर, जगदीश सिंह वगैरह विरुद्ध पुरुषोत्तम वगैरह, वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 16/2020

बनाम 1. पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र स्व. सीताराम 2. कौशल किशोर शर्मा पुत्र स्व. सीताराम 3. कमल किशोर शर्मा पुत्र स्व. सीताराम जाति ब्राह्मण स्थान ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) वादी ने आपके विरुद्ध नकल संलग्न है के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 28 माह 02 सन् 2022 को दिन में 1.00 पीएम. दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे समयक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता. 16 माह 02 सन् 22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायालय की आज्ञा
सरिस्तादार
मोहर उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 52/2022
उनवान- मीनू बाली बनाम पारूल बाली व अन्य
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी- नाम मीनू बाली पत्नि स्व. श्री राजन बाली विवाद स्थान डी-102, सुशान्त सिटी माचवा, कालवाड रोड, जयपुर
मृतक राजन बाली की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 28.03.22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम राजन बाली पुत्र राम प्रकाश बाली निवासी डी-102, सुशान्त सिटी माचवा, कालवाड रोड, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28 माह 03 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 15 माह 02 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से
मोहर वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को रियायती विलंब शुल्क के साथ पुनर्चलित करवाने का एक सुनहरा अवसर.
अवधि - 07.02.2022 से 25.03.2022

पात्र पॉलिसियों के लिए विलंब शुल्क में रियायत* ** नियम व शर्तें लागू.

कुल प्राप्य प्रीमियम	विलंब शुल्क में % रियायत	रियायत की अधिकतम सीमा
₹ 1,00,000 तक	20%	₹ 2000
₹ 1,00,001 से ₹ 3,00,000 तक	25%	₹ 2500
₹ 3,00,001 व अधिक	30%	₹ 3000

*उच्च जोखिम वाले प्लान्स जैसे कि सावधि बीमा, बहु जोखिम पॉलिसियों आदि के लिए लागू नहीं.
**पॉलिसियों को अदा न किए गए पहले प्रीमियम की तिथि से 5 वर्षों के अंदर पुनर्चलित किया जा सकता है.

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827 | डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप "MyLIC" | विज़िट करें: licindia.in

अधिक जानकारी के लिए अपने बीमा एजेन्ट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या आपके शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें
नकली फोन कॉल्स और झूठे/धोखाधड़ी पूर्ण ऑफ़र्स से सावधान रहें, आईआरडीएआई जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों के निवेश जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है. ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ.
LIC India Forever IRDAI Regn No.: 512
LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ
LIC/PRA/2021-22/45/Hin